कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग–1 के पत्र संख्याः 01 नो0ई0/XXXVI-A-1/2025-10 नो0–E/2009 दिनांकित 13 फरवरी 2025 के द्वारा **जिला मुख्यालय नई टिहरी जिला टिहरी गढवाल में नोटरी के एक पद पर नियुक्ति** हेतु जिला मुख्यालय में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 03 के अनुसार अर्हता रखते हो, से आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये है।

अतः नोटरी के उपरोक्त 01 पद हेतु जिला मुख्यालय में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण जो नियमानुसार योग्यता रखते हों, से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के अनुसार अर्हता रखते हों। आवेदन करने हेतु नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नवत हैः–

(2) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप–I के अनुसार और उक्त नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप–II के अनुसार अभ्यावेदन किया जायेगा,

(3) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा –

(क) मजिस्ट्रेट
(ख) राष्ट्रीयकृत बैक के प्रबन्धक,
(ग) व्यापारी, और
(घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

जो आवेदन अपूर्ण एवं उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नही होगें, उनपर विचार नही किया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2025 सायं 4.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगें।

(योगेश कुमार गुप्ता)
जिला न्यायाधीश,
टिहरी गढवाल।

स0 224 /2025 दिनांक 21-03-25 .

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसाद हेतु प्रेषित

1. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिऐशन, नई टिहरी।
2. सिस्टम असिस्टेन्ट वास्ते वेबसाईप पर अपलोड हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।

मुख्य प्रशा0 अधिकारी
जिला जजशिप टिहरी गढवाल।